

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 1049

प्रार्थीगण वनाम

दिनांक - 07.03.25

अप्रार्थीगण

1 अब्दुला 2 अलावचाया 3 अहमद पिसरान वरान्द 4 मरुवत पत्नि वसन्द 5 रहीम 6 सुमार पिसरान वसन्द जाति मुसलमान निवासी लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

1 कल्याणसिंह पुत्र शोभसिंह 2 गिरधरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 3 प्रवीणसिंह 4 वन्नेसिंह पिसरान जोगसिंह 5 ववरकंवर पत्नि इन्द्रसिंह 6 मोतिसिंह पुत्र शोभसिंह 7 रामन्द कंवर पत्नि जोगसिंह 8 सिरिकंवर पत्नि शोभसिंह 9 चैनसिंह पुत्र निम्बसिंह 10 छगनसिंह पुत्र जुझारसिंह 11 जसवतसिंह पुत्र जालसिंह 12 जोधसिंह पुत्र जुझारसिंह 13 जामकंवर पत्नि हडवंतसिंह 14 डलकंवर पत्नि जुझारसिंह 15 नगसिंह पुत्र नीम्बसिंह 16 नारायणसिंह पुत्र भूरसिंह 17 भाणसिंह पुत्र निम्बसिंह 18 भीखसिंह 19 रूपसिंह पिसरान दलसिंह 20 बवलसिंह पुत्र निम्बसिंह 21 शक्तिदानसिंह पुत्र हडवंतसिंह सरूपसिंह पुत्र दलसिंह जातियान राजपुत 23 गुलाम पुत्र देशल जाति मुसलमान 24 प्रेम कुमार पुत्र दौलतराम जाति ब्राहमण 25 रेशम पुत्र देशल जाति मुसलमान 26 अभयसिंह पुत्र विजयसिंह 27 जुझारसिंह 28 सरूपसिंह पिसरान उगमसिंह 29 ढेलकंवर पत्नि उगमसिंह उदयकंवर पत्नि विजयसिंह जातियान राजपुत 31 आचारखां पुत्र अली 32 इनायत पत्नि अली 33 भेरसल पुत्र अली जातियान मुसलमान रामरत निवासी लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-720/2024

दिनांक- 04/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लुणू आगोर पटवार क्षेत्र चुली तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 474/222 रकबा 13.3384 हेक्टर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2025/ 1050-53

दिनांक- 07.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चुली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण अब्दुला पुत्र वसन्द वगैरह जाति मुसलमान निवासी लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कल्याणसिंह पुत्र शोभसिंह वगैरह जातियान राजपुत निवासी लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेर





उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर